

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर


फर्द अहकाम

बउनवानी-सचिव भूमि विकास बैंक लि० सवाईमाधोपुर बनाम लडडू पुत्र कालू कीर

किस्म प्रकरण- मुतफर्रिक प्रार्थना पत्र

प्रकरण संख्या-18/2017

GCMS No. 2017/00261

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | न./ता.अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुआ |
|-------------|---|--|
| 2.03.2021 | <p>पत्रावली पेश हुई। सचिव भूमि विकास बैंक सवाईमाधोपुर उपस्थित। सचिव भूमि विकास बैंक सवाईमाधोपुर उपस्थित। सचिव भूमि विकास बैंक द्वारा पत्र क्रमांक भू.वि.बैंक/2020-21/495 दिनांक 2.2.2021 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी लडडू पुत्र कालू कीर निवासी चितारा तहसील सवाईमाधोपुर की ओर से बैंक की बकाया ऋण राशि चुकती जमा करवायी जा चुकी है इसलिए बैंक अब इस प्रकरण में आगे ओर कार्यवाही नहीं चाहता है एवं प्रार्थी बैंक की ओर न्यायालय में राज.सहकारी सोसायटी अधिनियम,2001 की धारा 103 व नियम 99 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को विज्ञा करना चाहता है। चूंकि उक्त प्रकरण मे प्रार्थी बैंक अब कोई कार्यावाही नहीं चाहता है। ऐसी स्थिति में सचिव, भूमि विकास बैंक सवाईमाधोपुर द्वारा राज.सहकारी सोसायटी अधिनियम,2001 की धारा 103 व नियम 99 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।</p> <p style="text-align: center;"> (राजेन्द्र किशन) जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर</p> | |

